<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>17.05.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर ने मेसर्स पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के पूर्व मुख्य यांत्रिक इंजीनियर सरोज कुमार दास और अन्य के खिलाफ एक मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत रुपये 94.55 लाख की अचल संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की है। अचल संपत्तियों में ओडिशा में 70 लाख रुपये मूल्य का एक निर्माणाधीन डुप्लेक्स और केरल में उनके सहयोगी की रुपये 24.55 लाख मूल्य की आवासीय इमारत शामिल हैं।

ईडी ने सरोज कुमार दास और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर एफआईआर और आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की। सीबीआई जांच के अनुसार, सरोज कुमार दास, जब पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, ओडिशा में मुख्य यांत्रिक अभियंता (सीएमई) के रूप में तैनात थे, तब उन्होंने मेसर्स उड़ीसा स्टीवडोर्स लिमिटेड (मैसर्स ओएसएल) के अधिकारियों और अन्य के साथ एक आपराधिक साजिश रची और उक्त कंपनी द्वारा पारादीप बंदरगाह पर कन्वेयर बेल्ट की क्षति के लिए बिल नहीं बनाया गया। सरोज कुमार दास ने भी नियमों को प्रभावित और शिथिल किया और हार्बर मोबाइल क्रेन (एचएमसी) के लाइसेंस के विस्तार में मेसर्स ओएसएल और अन्य की मदद की। मेसर्स ओएसएल को दिए गए अनुचित लाभ के बदले में, सरोज कुमार दास को सीधे या अपने सहयोगियों के माध्यम से रिश्वत की रकम मिली, जिसे उन्होंने आगे रियल एस्टेट में निवेश किया।

पीएमएलए के तहत जांच के दौरान, यह पता चला कि सरोज कुमार दास कुछ संस्थाओं को अनुचित लाभ दे रहे हैं और ऐसे एहसानों के बदले में बार-बार अवैध परितोषण (ग्रेटिफिकेशन) प्राप्त कर रहे हैं। उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारी मात्रा में नकद जमा/लेनदेन किए गए हैं। सरोज कुमार दास ने रुपये 25 लाख के मूल्य पर एक भूमि का अधिग्रहण किया है जिसका भुगतान नकद में किया गया था और वह उक्त भूमि पर एक डुप्लेक्स घर का निर्माण भी कर रहे हैं जिसके लिए अब तक डेवलपर को रुपये 45 लाख नकद भुगतान किया गया है। सरोज कुमार दास ने उनके द्वारा प्राप्त उक्त अवैध परितोषण में से उनकी सहयोगी श्रीमती श्री रेखा आर. को रुपये 24.55 लाख रुपये की लॉन्ड्रिंग और ट्रांसफर किया है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।

****